न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बांसा)

मु.न. 129/2016

उनवान

1. पांचूलाल पुत्र भूरामल
2. रामस्वरूप पुत्र पांचू लाल
3. श्रवण लाल पुत्र पांचू लाल
4. राधेश्याम पुत्र पांचू लाल
5. गणपत पुत्र पांचू लाल
6. सोहन लाल पुत्र पांचू लाल
7. घनश्याम पुत्र भूरामल

समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी कुशलपुरा बांसा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. गणपत पुत्र घीसा
2. म्होरी लाल पुत्र घीसा
3. सुरजमल पुत्र घीसा
4. हीरा लाल पुत्र घीसा
5. प्रभात पुत्र नानूराम
6. कमली देवी पत्नी प्रभात
7. रामकरण पुत्र नानूराम
8. लल्ली देवी पत्नी रामकरण
9. भगौती देवी पत्नी भागीरथमल
10. रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ
11. किशन लाल पुत्र जगन्नाथ
12. श्योराम पुत्र जगन्नाथ
13. घीसी देवी पुत्री जगन्नाथ

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कुशलपुरा बांसा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूँ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 18.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बांसा में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित है। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 187 के हाल खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.44 हैक्टेयर प्रार्थीगण की भूमि निहित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

मद नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमूं के आदेश से दिनांक 13.07.2016 को श्रीमान तहसीलदार चौमूं के आदेश कमांक भू0अ0/सीमा/2176 दिनांक 03.06.2016 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पहुंच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खसरा नम्बर 1122 का उत्तरी पश्चिमी कोना कायम कर गैर मुमकिन सडक को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान को समझाई गई तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी खसरा नम्बर 1122 की भूमि वर्णित मद नम्बर 1 की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की हिस्से की खातेदारी भूमि हैं, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 13 प्रार्थीगण को उनके कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की भूमि का प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित की पत्थरगढी नही करवाने दे रहे है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार व्यक्ति है, जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नही होगी तथा प्रार्थीगण अपने कब्जे शुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 13.07.2016 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा उक्त विवादीत आराजीयात में फसल न हो तो उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2017 को मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बॉसा में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner